

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

दिनांक 30.10.2025

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
96/2025

दायर दिनांक  
26.05.2025

निर्णय दिनांक  
30.10.2025

अनवान

1. लक्ष्मण लाल पुत्र भंवरलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रुदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. भैरूलाल पिता नारायण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रुदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
2. शंकर पुत्र नानजी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रुदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मोहन पिता लालू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रुदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. मांगू पिता लालू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रुदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. नारायण पिता चेना जाति रेगर आयु वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. लोभचन्द पिता चेना जाति रेगर आयु वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. गोपू पिता माना जाति चमार आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
8. दिनेश पिता मोहन जाति खटीक आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
9. कैलाश पिता उदयराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रुदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
10. लक्ष्मण पुत्र उदा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रुदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
11. उदी पुत्री गोदु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रुदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
12. कमला पुत्री उदा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रुदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
13. नानी पत्नी उदा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रुदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
14. मांगीबाई पत्नी माधुलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रुदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
15. रामी पुत्री उदा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रुदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)

अप्रार्थीगण

प्रार्थी  
अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र भाम्बी  
एक तरफा



सहायक कनिष्ठ  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हथियाना पटवार हल्का हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 239 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 359 रकबा 0.65 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 290 के आराजी संख्या 2873/364, 356, 360 कुल किता 03 कुल रकबा 3.41 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 के विरुद्ध वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। शेष अप्रार्थीगण के विरुद्ध वावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस वावत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजीयात जैरबहस के सहखातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के सहखातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजीयात मौजा हथियाना पटवार हल्का हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 239 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 359 रकबा 0.65 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 290 के आराजी संख्या 2873/364, 356, 360 कुल किता 03 कुल रकबा 3.41 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 हथियाना को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नवशा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सहस्रक सुबलका)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन कपासनि तौडगढ